



4
21

आज यह पत्रावली खप्रेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत...आन्याडी... में दिनांक...15-11-21... को पेश होने वाले तथ्य होकर पेश हुई। पत्रावली को कैम्प कोर्ट/राजस्थान लोक अदालत ग्राम पंचायत...आन्याडी... में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक...15-11-21... को कैम्प कोर्ट/राजस्थान लोक अदालत ग्राम पंचायत...आन्याडी... पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी
रेणी जिला अलवर

आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अमियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आन्याडी में पेश हुई। मूलवाद का हानिपूर्ण शीर्षक है। मूलवाद में कब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। मूलवाद का निलक्षण हो जाने से 212 RT Act का कोई अर्थ नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली के तहत श्रुति लेकर सिफ्टर से कच भी जाके संलग्न मूलवाद हो।


पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अमियान 2021
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत...आन्याडी...
उपखण्ड अधिकारी रेणी (अलवर)


न. क. क. गोपाल


अ. क. अ. अ. अ.


अ. क. क. क.